228 11 कठिन और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवारत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों के कर्मचारियों को विशेष भत्ता।

अधोहस्ताक्षरी को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(70)/08 –डीपीई (डब्ल्यूसी) के पैरा 10 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कतिपय भत्तों (चार) को मूल वेतन की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के दायरे से बाहर रखा गया है। दिनांक 26.11.2008 के कथित कार्यालय ज्ञापन के पैरा 10 (iii) में "कठिन और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत विशेष भत्ते" की व्यवस्था है जैसाकि संबंधित मंत्रालयों द्वारा सरकारी उद्यम विभाग के साथ समय–समय पर परामर्श से अनुमोदित किया गया है।

2. कुछ मंत्रालयों/विभागों, विशेषकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कठिन और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवारत तेल क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को विशेष भत्ते का मुद्दा उठाया है।

3. व्यय विभाग ने अपने 29.08.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3(1)/08–ई–II(बी) के जरिए कथित कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न अनुबंध में भाग क, ख, ग और घ के तौर पर सूचीबद्ध, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सेवारत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूरक (दूरदराज का स्थान) भत्ते की अनुमति दी है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस भत्ते की अनुमति ग्रेड वेतन और स्थान/क्षेत्र की दूरस्थता के आधार पर दी गई है।

4. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के कर्मचारियों के संबंध में, सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत निर्णय लिया है और निम्नलिखित के अनुसार, स्थानों के आधार पर विशेष भत्ते अपनाए हैं जैसाकि व्यय विभाग के ऊपर उल्लिखित दिनांक 29.08.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3(1)/08–ई–II (बी) (और समय–समय पर जारी भावी आदेशों) में यथाः विनिर्दिष्ट किया गया हैः–

श्रेणी	भाग 'ए' (रु. प्रति माह)	भाग 'बी' (रु. प्रति माह)	भाग 'सी' (रु. प्रति माह)	भाग 'डी' (रु. प्रति माह)
सीपीएसई के सभी कर्मचारी	मूल वेतन का 10%	मूल वेतन का 8%	मूल वेतन का 6%	मूल वेतन का 4%

5. उपर्युक्त अधिकतम सीमा, इसके अलावा लोक उद्यम विभाग के दिनांक 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा '4' में निहित प्रावधानों के अध्यधीन होगी। इसके अलावा, यदि संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा किसी क्षेत्र को कठिन और दूर–दराज माना जाता है और यह व्यय विभाग के दिनांक 29.08.2008 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लेखित कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत कवर नहीं होता। कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख के संबंध में दिनांक 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(v) के साथ पठित दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 17 देखें।

6. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उपर्युक्त अनुदेश जारी करें।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 2(77)/09–डीपीई(डब्ल्यूसी)–जीएल–XII/2010, दिनांक 22 जून, 2010)

*****